रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12052022-235728
SG-DL-E-12052022-235728

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274]	दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2022/वैशाख 20, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 62
No. 274]	DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2022/VAISAKHA 20, 1944	[N. C. T. D. No. 62

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 मई, 2022

फा. सं. 11/1/H&FW/HR-Med/2021/PF II/CD 112631132/4003.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 24.09.1968, के कार्यालयी ज्ञापन सं. 24/78/68—डीएच (एस) डीटी के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

(1) इन नियमों को दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (दंत शल्य चिकित्सक) नियमावली, 2022 कहा जाए ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएंः इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "आयोग" का अभिप्राय संघ लोक सेवा आयोग से है;

(ख) "नियत्रंण प्राधिकारी" का अभिप्राय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से है;

(ग) "विभागीय पदोन्नति समिति" (डीपीसी) का अभिप्राय पदोन्नति के मामलों में विचारार्थ अनुसूची– IV में विनिर्दिष्ट एक समिति से है, तथा "विभागीय पुष्टिकरण समिति" (डीसीसी) का अभिप्राय सेवा के समूह "अ" के पदों की पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए अनुसूची– IV में विनिर्दिष्ट एक समिति "से है;

(घ) "ड्यूटी पोस्ट" का अभिप्राय अनुसूची– II में विनिर्दिष्ट किसी भी स्थायी या अस्थायी पद से है:

(ङ.) "सरकार" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है;

(च) "ग्रेड" का अभिप्राय अनुसूची –I में निर्दिष्ट किसी भी ग्रेड से है;

(छ) अनुसूची" का अभिप्राय इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची से है;

(ज) "सेवा" का अभिप्राय दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (दंत शल्य चिकित्सक)से है ;

(1) 'अनुसूचित जाति', 'अनुसूचित जनजाति', 'अन्य पिछड़ा वर्ग' तथा 'दिव्यांग व्यक्ति' अभिव्यक्तियों का वही अभिप्राय होगा जो उन्हें भारत के संविधान/संसद के अधिनियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

3. सेवा का गठन तथा इसका वर्गीकरण:

सेवा में सम्मिलित समस्त ड्यूटी पदों को केंद्रीय सिविल सेवा, समूह "ए" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ग्रेड, वेतन मैट्रिक्स में, वेतन स्तर, नॉन– प्रैक्ट्रिस अलाउंस तथा इससे संबद्ध अन्य मामले अनुसूची–I में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अधिकृत संख्या तथा उनकी समीक्षा:

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि से सेवा के विभिन्न ग्रेडों में सम्मिलित ड्यूटी पदों की अधिकृत संख्या अनुसूची–II में यथाविनिर्दिष्ट होगी।

(2) इन नियमों के लागू होने के पश्चात, विभिन्न ग्रेडों में अधिकृत स्थायी ड्यूटी पदों की संख्या इस प्रकार होगी जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाए।

(3) सरकार समय–समय पर आवश्यकतानुसार समझे जाने वाले विभिन्न ग्रेडों के ड्यूटी पदों की संख्या में अस्थायी वृद्धि या कमी कर सकती है।

(4) सरकार, आयोग के परामर्श से, अनुसूची– II में सम्मिलित सेवा पदों से भिन्न सेवा में किसी भी पद को सम्मिलित कर सकती है अथवा उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से बाहर कर सकती है।

(5) सरकार, आयोग के परामर्श से, सेवा के उपयुक्त ग्रेड में, स्थायी अथवा अस्थायी क्षमता में, जैसा भी वह उपयुक्त समझे, एक अधिकारी जिसका पद, उप–नियम (4) के अंतर्गत सेवा में सम्मिलित है, को नियुक्त कर सकती है, तथा समरूप ग्रेड में निरंतर नियमित सेवा को ध्यान में रखते हुए उसकी वरिष्ठता को ग्रेड में निर्धारित कर सकती है।

(6) सेवा में पदों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत तक ("दंत शल्य चिकित्सक पदों में परामर्शदाता" के अतिरिक्त) प्रशिक्षण /अवकाश/ प्रतिनियुक्ति आरक्षित के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

5. सेवा के सदस्य:

(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात्: –

(क) नियम 4 के उप नियम (5) के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति,

(ख) नियम 6 के अंतर्गत ड्यूटी पद पर नियुक्त व्यक्ति, तथा

(ग) नियम 7 के अंतर्गत ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति

(2) उप–नियम (1) के खंड (ख) के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति होने पर, अनुसूची–II में उसके लिए लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा का सदस्य माना जाएगा।

(3) उप–नियम (1) के खंड (ग) के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तिथि से अनुसूची–II में उसके लिए लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा का सदस्य होगा।

6. सेवा का प्रारंभिक गठन :

(1) दिनांक 25 अगस्त, 1973 की अधिसूचना सं0फा0 2(3)/73–एस.II अथवा दिनांक 12 जुलाई 1993 की अधिसूचना सं0फा0 53/77/90–एम एवं पीएच द्वारा यथाअधिसूचित भर्ती नियमावली अर्थात सिविल सहायक शल्य–चिकित्सक ग्रेड–I (दंत) की नियुक्ति हेतु भर्ती नियमावली के अंतर्गत नियमित आधार पर नियुक्त सभी अधिकारी तथा इस नियमावली के प्रारंभ होने की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कार्यरत हैं, उन्हें इस नियमावली के अंतर्गत नियुक्त माना जाएगा तथा वे संबंधित ग्रेडों में सेवा के सदस्य होंगे।

(2) दिनांक 01.01.2005 से पूर्व संविदा आधार/तदर्थ आधार पर नियुक्त सभी अधिकारी जिन्होंने इस नियमावली की अधिसूचना की तिथि से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सिविल सहायक शल्य–चिकित्सक ग्रेड– I (दंत) के रूप में सेवा प्रदान करना जारी रखा है। आयोग द्वारा पद हेतु उनकी प्रदत्त सेवा तथा निर्धारित आवश्यक शैक्षिक योग्यता की प्रक्रिया का मूल्यांकन किए जाने वाली उनकी उपयुक्तता के आधार पर एवं उसमें उपयुक्त पाए जाने पर इस नियमावली के अंतर्गत नियुक्त माना जाएगा तथा वे प्रारंभिक गठन स्तर के प्रवेश स्तर पर सेवा के सदस्य होंगे।

7. सेवा का अनुरक्षण :

(1) अनुसूची–II में संदर्भित किसी भी ग्रेड में रिक्तियों को इस तरह से भरा जाएगा जैसा कि इस नियमावली के अंतर्गत तत्पश्चात प्रदान किया गया है।

(2) सेवा में शामिल पदों पर नियुक्ति या पदोन्नति हेतु तत्काल निम्न ग्रेड या निम्न ग्रेड में न्यूनतम अर्हक सेवा सहित भर्ती की पद्धति, पदोन्नति हेतु चयन का कार्यक्षेत्र, जैसा भी मामला हो, अनुसूची– III में यथाविनिर्दिष्ट होगा।

(3) सेवा में विभागीय पदोन्नति से उच्च पदों पर नियुक्ति अनुसूची– IV के रूप में गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर, जैसा भी मामला हो, तत्काल निम्न ग्रेड या निम्न ग्रेडों में सेवारत अधिकारियों में से चयन के आधार पर की जाएगी।

(4) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में ड्यूटी पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य योग्यताओं के साथ आयु सीमा अनुसूची–V में यथाविनिर्दिष्ट होंगी।

(5) दंत शल्य–चिकित्सक के ग्रेड में रिक्तियों को आयोग के परामर्श से अनुसूची– III में यथाप्रदत्त सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

टिप्पणी :

(i) दंत शल्य–चिकित्सक, कनिष्ठ स्टाफ शल्य–चिकित्सक, (दंत), स्टाफ शल्य–चिकित्सक(दंत), स्टाफ शल्य–चिकित्सक, (दंत) (एनएफएसजी) और दंत शल्य–चिकित्सा में परामर्शदाता के पद पदोन्नति के उद्देश्य से सेवा के भीतर परस्पर विनिमय योग्य हैं।

(ii) उक्त वर्णित ग्रेडों में (प्रविष्टि ग्रेडों से भिन्न) पदोन्नति दंत शल्य–चिकित्सा में परामर्शदाता के स्तर तक की रिक्तियों की संबद्धता के बिना होंगी।

8. प्रतिनियुक्ति द्वारा ड्यूटी पदों को भरना (अल्पकालिक संविदा सम्मिलित) :

(1) नियम 7 में कुछ भी निहित होने पर भी, जहाँ सरकार की यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आयोग के परामर्श से दंत शल्य–चिकित्सा के ग्रेड में प्रविष्टि स्तर पर ड्यूटी पदों का पांच प्रतिशत से अधिक केंद्र सरकार (रेलवे और रक्षा मंत्रालयों सहित)/राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत समरूप पदधारी उपयुक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर हस्तांतरण द्वारा या सांविधिक निकायों, स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अंतर्गत समरूप पदधारी उपयुक्त अधिकारियों की अल्पकालिक संविदा द्वारा नहीं भरा जा सकता है।

यह भी उपबंधित है कि सरकार, प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में आयोग के परामर्श से, समावेशन के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार कर सकती है।

(2) प्रतिनियुक्ति या संविदा की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में सरकार द्वारा उचित समझे जाने पर पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(3) प्रतिनियुक्ति या समावेशन के आधार पर ड्यूटी पदों पर नियुक्ति के लिए, अधिकारी, की नियुक्ति इन नियमों की अनुसूची – V में पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य योग्यताओं को पूरा करने वालों में से होगी ।

9. वरिष्ठताः

(1) नियम 6 (1) के अन्तर्गत सेवा के प्रारंभिक गठन के समय सेवा में एक ग्रेड में नियुक्त सेवा के सदस्यों की सापेक्ष वरिष्ठता, इन नियमों के लागू होने की तिथि से होगी।

बशर्ते कि यदि ऐसे किसी सदस्य की वरिष्ठता उक्त तिथि को विशेष रूप से निर्धारित नहीं की गई थी, तो इसे वरिष्ठता के निर्धारण को शासित करने वाले नियमों के आधार पर , जैसा कि सेवा के सदस्यों पर नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व लागू था या आयोग के परामर्श से, जैसी भी स्थिति हो , उसे निर्धारित किया जाएगा।

(2) नियम 6 (1) के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारियों के अलावा सेवा में भर्ती होने वाले अधिकारियों की वरिष्ठता सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सामान्य निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(3) नियम 4 के उप–नियम (5) के अनुसरण में सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता उसमें उपबन्धित तरीके से नियत की जाएगी।

(4) प्रारंभिक गठन के स्तर पर नियुक्ति से पहले अनुबंध / तदर्थ आधार पर कार्यरत डॉक्टरों द्वारा आहारित वेतन वृद्धि के लिए दी गई सुरक्षा, यदि कोई हो, को प्रारम्भिक गठन स्तर पर उनकी नियुक्ति के पश्चात टाईम स्केल के आधार पर पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए सेवा की अवधि या वरिष्ठता को निर्धारित करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

10. परिवीक्षाः

(1) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त प्रारंभिक गठन के भाग के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को छोड़कर प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा।

बशर्ते कि –

(क) नियंत्रण प्राधिकारी इस संबंध में समय–समय पर सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकते हैं।

(ख) इसके अलावा, किसी अधिकारी की परिवीक्षा अवधि के विस्तार के लिए कोई भी निर्णय प्रारंभिक परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के तुरंत पश्चात और सामान्यतः आठ सप्ताह के भीतर लिया जाएगा और संबंधित अधिकारी को उक्त अवधि के भीतर लिखित रूप में ऐसा करने के कारणों के साथ सूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के पूरा होने पर, अधिकारी को, यदि स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है, भारत सरकार के विद्यमान आदेशों के अनुसार पुष्टि की जाएगी।

(3) यदि परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार, जैसा भी मामला हो, के दौरान सरकार का यह मत है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो सरकार अधिकारी को सेवामुक्त कर सकती है या उसे उसके द्वारा सेवा में उनकी नियुक्ति के समय धारित पद पर पूर्ववत कर सकती है, जैसी भी स्थिति हो।

(4) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, अधिकारियों को सरकार द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रमों से गुजरना पड़ सकता है या ऐसी परीक्षा या परीक्षण (हिंदी में परीक्षा सहित) उत्तीर्ण करनी पड़ सकती है जैसा कि परिवीक्षा के संतोषजनक रूप से पूरा करने के लिए शर्त के रूप में सरकार उपयुक्त समझे ।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में, सेवा के सदस्य समय–समय पर इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या निर्देशों द्वारा शासित होंगे।

11. सेवा में नियुक्तिः

(1) सेवा में सभी नियुक्तियाँ नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।

(2) सेवा में सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन के आधार पर नियुक्ति आयोग के परामर्श से नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

12. तैनातीः

सेवा में नियुक्त अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के किसी भी संस्थान में सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

13. निजी प्रैक्टिस निषिद्धः

(1) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को किसी भी परामर्श और प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) हालांकि, ऐसे व्यक्ति अनुसूची– **I** में निर्दिष्ट दरों पर गैर– प्रैक्टिस भत्ते के हकदार होंगे।

14. सेवा और पेंशन की अन्य शर्तें:

(1) इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्धित नहीं किए गए मामलों के संबंध में सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्तें, आवश्यक परिवर्तनों के साथ और सेवा के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए किसी विशेष आदेश के अधीन, वही होंगी जो सामान्य रूप से केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों पर लागू होती हैं।

(2) (क) इन नियमों के आरम्भ होने से पूर्व "31.12.2003 को या उससे पूर्व" नियम 6 के उप–नियम (i) के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी, सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 द्वारा शासित होंगे।

(ख) नियम 6 के उप–नियम (i) के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी, "01.01.2004 को या उसके बाद" नई पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे।

(ग) नियम 6 के उप–नियम (2) के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी नई पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे, जो 01.01.2004 से लागू होगा।

15. अयोग्यताः

कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा –

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं , किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

16. शिथिल करने की शक्तिः

जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी वर्ग या श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के प्रावधानों में से किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकती है ।

17. बचावः

इन नियमों की किसी भी बात का भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

18. व्याख्याः

यदि इन नियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो इसका निर्णय सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

19. निरसन

दिनांक 12 जुलाई 1993 की अधिसूचना संख्या फा0 53/7–90–एम एंड पीएच द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थानों में सिविल सहायक शल्य–चिकित्सक ग्रेड– I (दंत) की नियुक्ति के लिए भर्ती नियम एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं।

अनुसूची–I

[देखें नियम 2 (एफ), 3 और नियम 13],

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (दंत शल्य चिकित्सक) में शामिल ड्यूटी पदों के ग्रेड, वेतन मैट्रिक्स में स्तर एवं भत्ते

(1) ग्रेड एवं वेतर स्तर /वेतन मैट्रिक्स :

क्रम सं.	ग्रेड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
1.	दंत शल्य चिकित्सा में परामर्शदाता	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 14 (1,44,200–2,18,200/रू.)
2.	स्टाफ शल्य –चिकित्सक (दंत) (एनएफएसजी)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 13 (1,23,100–2,15,900/रू.)
3.	स्टाफ शल्य –चिकित्सक (दंत)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 12 (78,800–2,09,200/रू.)
4.	कनिष्ठ स्टाफ शल्य –चिकित्सक (दंत)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 11 (67,700–2,08,700/रू.)
5.	दंत भाल्य –चिकित्सक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 10 (56,100–1,77,500/रू.)

नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता /स्नातकोत्तर /यात्रा भत्ता /अकादमिक भत्ता केन्द्र सरकार द्वारा समय –समय पर जारी आदेशों के अनुसार ग्राह्य है ।

अनुसूची–II

[देखें नियम 2 (डी), 4, 5 और 7 (1)],

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (दंत भाल्य –चिकित्सक) का प्राधिकृत संख्या बल

क्रम सं.	ड्यूटी पद	पदों की संख्या
(1).	(2)	(3)
.	दंत शल्य चिकित्सक	56
1.	आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल	2
2.	अम्बेडकर नगर अस्पताल	1
3.	अरूणा आसफ अली जनरल अस्पताल	2
4	बाबू जगजीवन राम अस्पताल	2
5.	भगवान महावीर अस्पताल	1
6.	सैन्ट्रल जेल अस्पताल (मंडोली)	1
7.	दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल	2
8.	दीप चन्द बन्धु अस्पताल	2
9.	निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं	13
10.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल	3
11.	डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान	2
12.	गवर्नमेंट अस्पताल, बुराड़ी	1
13.	गुरू गोविन्द सिंह जनरल अस्पताल	2
14.	गुरू तेगबहादुर अस्पताल	6
15.	जगप्रवेश चन्द अस्पताल	2
16.	लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल	2
17.	महर्षि वाल्मिकी अस्पताल	1
18.	एन सी जोशी अस्पताल	1
19.	नेहरू होम्योपैथिक मैडीसन कॉलेज एवं अस्पताल	1
20.	पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल	2
21.	राव तुलाराम अस्पताल	1
22.	संजय गांधी मैमोरियल अस्पताल	2
23.	सरदार बल्लभ भाई पटेल अस्पताल	2
24.	सत्यवादी राजा हरीशचन्द्र अस्पताल	2

*पदों की संख्या कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय है ।

अनुसूची–III

[देखें नियम 7]

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (दंत भाल्य –चिकित्सक) में ड्यूटी पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति या पदोन्नति के लिए तत्काल निम्न ग्रेड या निम्न ग्रेड में पदोन्नति तथा न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए भर्ती पद्धति, चयन का क्षेत्र।

क्रम संख्या	पद का नाम /वेतन स्तर /वेतन मैट्रिक्स	भर्ती पद्धति	चयन का क्षेत्र तथा न्यूनतम अर्हक सेवा
1.	दंत शल्य चिकित्सा परामर्शदाता वेतन मैट्रिक्स में स्तर –14 (1,44,200 –2,18,200/–रूपये)	रिक्तियों की संबद्धता के बिना यथास्थान आधार पर पदोन्नति द्वारा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –13 (1,23,100 –2,15,900/–रूपये) में सात (7) वर्षों की नियमित सेवा सहित स्टाफ शल्य –चिकित्सक (दंत) (एनएफएसजी) अथवा बीस वर्ष की नियमित सेवा ।
2.	स्टाफ शल्य –चिकित्सक (दंत) वेतन मैट्रिक्स में स्तर –13 (1,23,100 –2,15,900/–रूपये)	रिक्तियों की संबद्धता के बिना यथास्थान आधार पर पदोन्नति द्वारा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –12 (78,800 –2,09,200/–रूपये) में चार (4) वर्षों की नियमित सेवा सहित स्टाफ शल्य –चिकित्सक (दंत) ।
3.	स्टाफ शल्य –चिकित्सक (दंत) वेतन मैट्रिक्स में स्तर –12 (78,800 –2,09,200/–रूपये)	रिक्तियों की संबद्धता के बिना यथास्थान आधार पर पदोन्नति द्वारा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –11 (67,700 –2,08,700/–रूपये) पांच (5) वर्ष की नियमित सेवा सहित कनिष्ठ स्टाफ शल्य –चिकित्सक (दंत)
4.	कनिष्ठ स्टाफ शल्य –चिकित्सक (दंत) वेतन मैट्रिक्स में स्तर –11 (67,700 –2,08,700/–रूपये)	रिक्तियों की संबद्धता के बिना यथास्थान आधार पर पदोन्नति द्वारा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –10 (56,100 –1,77,500/–रूपये) चार (4) वर्ष की नियमित सेवा सहित दंत शल्य –चिकित्सक।
5.	दंत शल्य –चिकित्सक वेतन मैट्रिक्स में स्तर –10 (56,100 –1,77,500/–रूपये)	सीधी भर्ती द्वारा	सीधी भर्ती शैक्षणिक योग्यता तथा आयु सीमा इत्यादि के लिए अनुसूची –V देखें ।

टीप – एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति लम्बी बीमारी /अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण पदधारी द्वारा दूर रहने से हुई रिक्तियों को सरकार , केन्द्रीय सरकार /राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर 5 प्रतिशत से अधिक पदों को नहीं भर सकती है ।

क)

i. मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी ।

ii. वेतन मैट्रिक्स के स्तर –8 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में दो वर्ष की सेवा सहित ।

ख) अनुसूची –V में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)

अनुसूची–IV
[देखें नियम 2 (ग) एवं 7 (3)]

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (दंत भाल्य –चिकित्सक) में ड्यूटी पदों पर पदोन्नति या स्थाईकरण के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय समितियां

क्रम संख्या	समिति (के प्रयोजनार्थ)	ग्रेड	सदस्य	समिति में सदस्यों का पद
1.	विभागीय पदोन्नति	दंत शल्य चिकित्सा परामर्शदाता	1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 2. प्रशासनिक सचिव, स्वा0 एवं परि0 कल्या0 विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 3. सचिव , सेवाएं विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	अध्यक्ष सदस्य सदस्य
2.	विभागीय पदोन्नति	स्टाफ शल्य –चिकित्सक (दंत) (एनएफएसजी)	1. अपर मुख्य सचिव (गृह)/प्रधान सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 2. संबंधित प्रशासनिक सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 3. विशेष /अपर सचिव (शहरी विकास) , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 4. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य
3.	विभागीय पदोन्नति	स्टाफ शल्य –चिकित्सक (दंत)	1. अपर मुख्य सचिव (गृह)/प्रधान सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 2. संबंधित प्रशासनिक सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 3. विशेष /अपर सचिव (शहरी विकास) , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 4. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य
4.	विभागीय पदोन्नति	कनिष्ठ स्टाफ शल्य –चिकित्सक (दंत)	1. अपर मुख्य सचिव (गृह)/प्रधान सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 2. संबंधित प्रशासनिक सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 3. विशेष /अपर सचिव (शहरी विकास) , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 4. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य
5.	विभागीय पदोन्नति	दंत शल्य –चिकित्सक	1. अपर मुख्य सचिव (गृह)/प्रधान सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 2. संबंधित प्रशासनिक सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 3. विशेष /अपर सचिव (शहरी विकास) , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 4. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य

अनुसूची–V

[देखें नियम 7 (5) एवं 8 (3)]

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (दंत भाल्य –चिकित्सक) में ड्यूटी पदों की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम भौक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं , आयु सीमा सहित

ड्यूटी पद /वेतन मैट्रिक्स में स्तर	आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यताएं
दंत शल्य –चिकित्सक वेतन मैट्रिक्स में स्तर –10 (56,100 –1,77,500/–रूपये)	35 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 05 वर्ष तक शिथिलनीय।	(i) दंत चिकित्स अधिनियम, 1948 (1948 का 16) के भाग – I में शामित दंत शल्य चिकित्सा उपाधि योग्यता का एक मान्यता प्राप्त स्नातक । अथवा भारत के बाहर किसी प्राधिकारी या संस्थान द्वारा प्रदान की गई मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सा योग्यता यदि वह दंत चिकित्स अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की अनुसूची के भाग – III के अन्तर्गत दिनांक 13.08.2009 तक किसी भारतीय नागरिक को प्रदान की गई हो । अथवा विदेशी योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसने दिनांक 13.08. 2009 से स्क्रीनिंग टेस्ट विनियम, 2009 के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट परीक्षा में उपस्थित हुआ है और उत्तीर्ण किया है । (ii) भारत में किसी राज्य दंत चिकित्सा परिषद या ट्रिब्यूनल के साथ पंजीकृत होना चाहिए । (iii) सी0आर0आई0(अनिवार्य आवर्ती प्रशिक्षुता) को पूर्ण करना – जिन अभ्यार्थियों ने सी0आर0आई0 पूर्ण नहीं किया है, वे भी चयन के लिए उपस्थित होने के पात्र हैं, बशर्ते कि यदि वे चुने जाते हैं तो उन्हें नियुक्ति से पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षुता संतोषजनक ढंग से पूर्ण करना होगा।

टीप – **1.** आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन के अनुसार होगी ।
2. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ओ.पी. पांडे, उप सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 6th May, 2022

F. No. 11/1/H&FW/HR-Med/2021/PF-II/CD 112631132/4003.—In exercise of the powers conferred under Article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs O.M. No. 24/78/68-DH(S) Dt. 24.09.1968, the Lt. Governor of Delhi,after prior consultation with UPSC, is pleased to make the following rules, namely-

1. Short title and Commencement:

(1) These rules may be called the Delhi Health Service (Dental Surgeon) Rules, 2022”.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions: In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(b) "Controlling Authority" means the Health and Family Welfare Department, Government of NCT of Delhi;

(c) “Departmental Promotion Committee” (DPC) means a Committee specified in Schedule-IV for considering cases of promotion, and “Departmental Confirmation Committee” (DCC) means a Committee specified in Schedule-IV for considering cases of confirmationin Group "A" posts of the Service;

(d) "Duty Post" means any post, whether permanent or temporary, specified in Schedule-II;

(e) "Government" means Lt. Governor of NCT of Delhi;

(f) "Grade" means any of the grades specified in Schedule -I;

(g) Schedule" means a Schedule appended to these Rules;

(h) "Service" means the Delhi Health Service (Dental Surgeon);

(i) The expression ‘Scheduled Castes’, ‘Scheduled Tribe’, ‘Other Backward Classes’ and ‘Persons with disabilities’ shall have the same meaning as assigned to them in the Constitution of India/ Acts of Parliament.

3. Constitution of the Service and its classification:

All Duty Posts included in the Service shall be classified as Central Civil Service, Group "A". The Grades, Pay Level in the Pay Matrix, Non-Practicing Allowance and other matters connected therewith shall be as specified in Schedule-I.

4. Authorised strength and their review:

(1) The authorized strength of the Duty Posts included in the various grades of the Service on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule-II.

(2) After the commencement of these rules, the authorized permanent strength of the DutyPosts in the various grades shall be such as may, from time to time, be determined by the Government.

(3) The Government may make temporary addition to, or reduction, in the strength of the Duty Posts in various grades as deemed necessary from time to time.

(4) The Government may, in consultation with the Commission, include in the Service any post other than those included in Schedule-II or exclude from the Service a post included in the said Schedule.

(5) The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (4), to the appropriate Grade of the Service, in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit, and fix his seniority in the Grade after taking into account continuous regular service in the analogous Grade.

(6) Upto 10% of the total number of posts in the Service (excluding “Consultant in Dental Surgery” posts) shall be included in the Service as training/leave/deputation reserve.

5. Members of the Service:

(1) The following persons shall be Members of the Service, namely:-

(a) Persons appointed under Sub Rule (5) of Rule 4,

(b) Persons appointed to DutyPosts under Rule 6, and

(c) Persons appointed to Duty Posts under Rule 7.

(2) A person, appointed under clause (b) of the Sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be the member of the Service in the appropriate Grade applicable to him in Schedule-II.

(3) A person appointed under clause (c) of the Sub-rule (1) shall be Member of the Service in the appropriate Grade applicable to him in Schedule-II from the date of such appointment.

6. Initial Constitution of the Service:

(1) All the officers appointed on regular basis under the Recruitment Rules namely, the Recruitment Rules for appointment of Civil Assistant Surgeon Grade – I (Dental), as notified vide Notification No. F. 2(3)/73-S.II, Dt. 25th August, 1973 or Notification No. F. 53/77/90-M&PH, Dt. 12th July 1993, and who are working in the Government of National Capital Territory of Delhi as on the date of commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed under these rules and they shall be members of the Service in the respective Grades.

(2) All the officers appointed on Contract basis / Adhoc basis before 01.01.2005, who continue to render service in Department of Health & Family Welfare, Government of National Capital Territory of Delhi as Civil Assistant Surgeon Grade - I (Dental) on the date of notification of these rules, on the basis of their suitability to be assessed by the Commission and processing requisite educational qualifications prescribed for the post and being found fit, shall be deemed to have been appointed under these Rules and they shall be members of the Service at the entry level at the initial constitution stage.

7. Maintenance of the Service:

(1) The vacancies in any of the grades referred to in Schedule-II shall be filled in the manner as hereinafter provided under these rules.

(2) The method of recruitment, the field of selection for promotion, including the minimum qualifying service in the immediate lower Grade or lower Grades as the case may be, for appointment or promotion, to the posts included in the Service shall be as specified in Schedule-III.

(3) The Departmental promotions to higher posts in the Service shall be made on the basis of selection from among the officers of the Service in the immediate lower Grade or lower Grades, as the case may be, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted as in Schedule-IV.

(4) The minimum educational and other qualifications, along with age limit for appointment to Duty Posts in the Service by direct recruitment shall be as specified in Schedule-V.

(5) The vacancies in the grade of Dental Surgeon shall be filled by direct recruitment as provided in the Schedule-III, in consultation with the Commission.

Note:

(i) The posts of DENTAL SURGEON, JUNIOR STAFF SURGEON (DENTAL), STAFF SURGEON (DENTAL), STAFF SURGEON (DENTAL) (NFSG) AND CONSULTANT IN DENTAL SURGERY are interchangeable within the Service for the purpose of promotion.

(ii) Promotion to the Grades (other than entry Grade) mentioned above shall be without linkage to vacancies up-to the level of Consultant in Dental Surgery.

8. Filling up duty posts by Deputation (including short term contract):

(1) Notwithstanding anything contained in Rule 7, where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may for reasons to be recorded in writing, fill not more than five percent Duty Posts, at entry level in the Grade of Dental Surgeon, by transfer on deputation of suitable officers holding analogous posts under the Central Government (including Ministries of Railways and Defence)/ State Governments/ Union Territories or by short term contract of suitable officers holding analogous posts under the Statutory Bodies, Autonomous Bodies, Universities or Recognized Research Institutions in consultation with the Commission.

Provided that with regard to the posts filled up on deputation, it shall be open for the Government, in consultation with the Commission, to consider appointment on absorption basis.

(2) The period of deputation or contract shall ordinarily not exceed three years, which may, in special circumstances be extended up to five years, as the Government may think fit.

(3) For appointment to Duty Posts on deputation or absorption basis, the officer shall, among others, fulfil the minimum educational and other qualifications prescribed for the posts in Schedule - V to these Rules.

9. Seniority:

(1) The relative seniority of members of the Service appointed to a Grade in the Service at the time of initial constitution of the Service under Rule 6 (1), shall be as obtaining on the date of commencement of these Rules.

Provided that if the seniority of any such members had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined on the basis of the rules governing the fixation of seniority as were applicable to the members of the Service prior to the commencement of these rules or in consultation with the Commission, as the case may be.

(2) The seniority of officers recruited to the Service other than those appointed under rule 6(1) shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government in the matter from time to time.

(3) The seniority of persons recruited to the Service in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 4 shall be fixed in the manner provided therein.

(4) The protection, if any, accorded towards increments drawn by the doctors who worked on Contract/Adhoc basis prior to placement at the initial constitution stage shall not be taken into account for determining the length of service or seniority for consideration for promotion on time scale basis subsequent to their placement at the initial constitution stage.

10. Probation:

(1) Every officer except for those appointed as part of the initial constitution, appointed to the Service by direct recruitment shall be on probation for a period of two years.

Provided that-

(a) the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time in this behalf.

(b) Further that any decision for extension of the period of probation of an officer shall be taken immediately after the expiry of initial period of probation and ordinarily within eight weeks and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officer shall, if considered fit for permanent appointment, be confirmed in terms of the extant orders of the Government of India.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge the officer or revert him to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof, officers may be required by the Government to undergo such courses of training or to pass such examinations or tests (including examination in Hindi) as the Government may deem fit as condition for satisfactory completion of probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service will be governed by the orders or instructions issued by the Government in this regard from time to time.

11. Appointment to the Service:

(1) All appointments to the Service shall be made by the Controlling Authority.

(2) Appointments to the Service on the basis of direct recruitment and deputation (including short term contract)/absorption shall be made by the Controlling Authority in consultation with the Commission.

12. Posting:

Officers appointed to the Service shall be liable to serve in any institution of the Government of National Capital Territory of Delhi.

13. Private Practice Prohibited:

(1) Persons appointed to the Service shall not be allowed private practice of any kind whatsoever, including any consultation and laboratory practice.

(2) Such persons shall, however, be entitled to a Non-practicing allowance at the rates specified in Schedule-I.

14. Other conditions of Service and Pension:

(1) The conditions of service of the members of the Service in respect of matters not expressly provided for in these rules, shall, mutatis mutandis and subject to any special orders issued by the Government in respect of the Service, be the same as those applicable to officers of the Central Civil Services in general.

(2) (a) Officers appointed under Sub-rule (i) of Rule 6 "on or before 31.12.2003" before the commencement of these Rules, shall be governed by the CCS (Pension) Rules, 1972.

(b) Officers appointed under Sub-rule (i) of Rule 6, "on or after 01.01.2004" shall be governed by the New Pension Scheme.

(c) Officers appointed under Sub-rule (2) of Rule 6 will be governed by the New Pension Scheme, applicable w.e.f.01.01.2004.

15. Disqualification:

No person shall be eligible for appointment to the service -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or,

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

16. Power to relax:

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

17. Saving:

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

18. Interpretation:

If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Government in consultation with the Commission.

19. Repeal

The Recruitment Rules for the appointment of Civil Assistant Surgeon Grade - I (Dental) in the Medical Institutions under the Government of National Capital Territory of Delhi, notified vide notification no. F. 53/7-90-M&PH, Dated 12th July 1993, are hereby repealed.

SCHEDULE-I

[See rule 2(f), 3 and 13]

Grade, Pay Level in Pay Matrix and Allowances of Duty Posts included in the Delhi Health Service (Dental Surgeon)

(I) Grades and Pay Level/ Pay Matrix:

S.No.	Grade	Level in Pay Matrix
1.	Consultant in Dental Surgery	Level-14 in the Pay Matrix(Rs. 1,44,200-2,18,200/-)
2.	Staff Surgeon (Dental) (NFSG)	Level-13 in the Pay Matrix(Rs. 1,23,100-2,15,900/-)
3.	Staff Surgeon (Dental)	Level-12 in the Pay Matrix(Rs. 78,800-2,09,200/-)
4.	Junior Staff Surgeon (Dental)	Level-11 in the Pay Matrix(Rs. 67,700-2,08,700/-)
5.	Dental Surgeon	Level-10 in the Pay Matrix(Rs. 56,100-1,77,500/-)

(II)Rates of Non- Practicing Allowance/ Post Graduate Allowance/ Conveyance allowance/ Academic Allowance etc., are admissible as per orders issued from time to time by the Central Government.

SCHEDULE-II

[See rule 2(d), 4, 5 and 7(1)]

Authorized strength of Delhi Health Service (Dental Surgeon)

S.No.	Duty Post	No. of Posts
(1)	(2)	(3)
Dental Surgeon		56
1.	Acharya Shree Bhikshu Hospital	2
2.	Ambedkar Nagar Hospital	1
3.	ArunaAsaf Ali General Hospital	2
4.	BabuJagjivan Ram Hospital	2
5.	BhagwanMahaveer Hospital	1
6.	Central Jail Hospital (Mandoli)	1
7.	DeenDayalUpadhyaya Hospital	2
8.	Deep Chand Bandhu Hospital	2

9.	Directorate of Health Services	13
10.	Dr. Baba SahebAmbedkar Hospital	3
11.	Dr.HedgewarArogyaSansthan	2
12.	Government Hospital, Burari	1
13.	Guru Gobind Singh General Hospital	2
14.	Guru TegBahadur Hospital	6
15.	Jag ParveshChander Hospital	2
16.	LalBahadurShastri Hospital	2
17.	Maharishi Valmiki Hospital	1
18.	N.C. Joshi Hospital	1
19.	Nehru Homeopathic Medicine College &Hospital	1
20.	PanditMadan Mohan Malviya Hospital	2
21.	Rao Tula Ram Hospital	1
22.	Sanjay Gandhi Memorial Hospital	2
23.	SardarVallabh Bhai Patel Hospital	2
24.	Satyawadi Raja Harish Chandra Hospital	2

*No. of posts are subject to variation dependent on workload.

SCHEDULE-III

[See rule 7]

The method of recruitment, field of selection for promotion and minimum qualifying service in the immediate lower Grade or lower Grades for appointment or promotion of officers to Duty Posts in the Delhi Health Service (Dental Surgeon)

Sl. No.	Name of the Post/ Pay Level/ Pay Matrix	Method of Recruitment	Field of selection and minimum qualifying service
1.	Consultant in Dental Surgery Level-14 in the Pay Matrix (Rs. 1,44,200-2,18,200/-)	By Promotion on in-situ basis without linkage to vacancies.	Staff Surgeon (Dental)(NFSG)with Seven (7) years of regular service in Level-13 in the Pay Matrix (Rs. 1,23,100-2,15,900/-)or 20 years of regular service.
2.	Staff Surgeon (Dental) (NFSG) Level-13 in the Pay Matrix (Rs. 1,23,100-2,15,900/-)	By Promotion on in-situ basis without linkage to vacancies.	Staff Surgeon (Dental) with Four (4) years of regular service in Level-12 in the Pay Matrix (Rs. 78,800-2,09,200/-)
3.	Staff Surgeon (Dental) Level-12 in the Pay Matrix (Rs. 78,800-2,09,200/-)	By Promotion on in-situ basis without linkage to vacancies.	Junior Staff Surgeon (Dental)with Five (5) years of regular service in Level-11 in the Pay Matrix (Rs. 67,700-2,08,700/-)
4.	Junior Staff Surgeon (Dental) Level-11 in the Pay Matrix (Rs. 67,700-2,08,700/-)	By Promotion on in-situ basis without linkage to vacancies.	Dental Surgeonwith Four (4) years of regular service in Level-10 in in the Pay Matrix (Rs. 56,100-1,77,500/-)
5.	Dental Surgeon Level-10 in the Pay Matrix (Rs. 56,100-1,77,500/-)	By direct recruitment.	Direct recruitment See Schedule-V for educational qualification and age limit, etc.

NOTE-The Government may fill not more than five percent posts on transfer on deputation basis from officers of Central Government/ State Governments/ Union Territories as well as vacancies caused by the incumbent being away on transfer/ deputation/ long illness/ study leave or under other circumstances for duration of one year or more from officers-

a)
i. Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
ii. With two years service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 8 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;
AND

b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in Schedule-V.

(The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications by the Department of H&FW).

SCHEDULE-IV

[See rule 2(c) and 7 (3)]

Departmental Committees for considering the cases of Promotion or Confirmation to the Duty Posts in the Delhi Health Service (Dental Surgeon)

Sl. No.	Committee (for the purpose of)	Grade	Members	Profile of Members in the Committee
1.	Departmental Promotion	Consultant in Dental Surgery	1. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi - 2. Administrative Secretary, D/o H&FW, Govt. of NCT of Delhi - 3. Secretary, Services Department, Govt. of NCT of Delhi -	Chairman Member Member
2.	Departmental Promotion	Staff Surgeon (Dental) (NFSG)	1. Addl. Chief Secretary (Home)/ Pr. Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi 2. Administrative Secretary concerned, Govt. of NCT of Delhi 3. Special/ Additional Secretary (UD), Govt. of NCT of Delhi 4. Director General Health Services, Govt. of NCT of Delhi	Chairman Member Member Member
3.	Departmental Promotion	Staff Surgeon (Dental)	1. Addl. Chief Secretary (Home)/ Pr. Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi 2. Administrative Secretary concerned, Govt. of NCT of Delhi 3. Special/ Additional Secretary (UD), Govt. of NCT of Delhi 4. Director General Health Services, Govt. of NCT of Delhi	Chairman Member Member Member
4.	Departmental Promotion	Junior Staff Surgeon (Dental)	1. Addl. Chief Secretary (Home)/ Pr. Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi 2. Administrative Secretary concerned, Govt. of NCT of Delhi 3. Special/ Additional Secretary (UD), Govt. of NCT of Delhi 4. Director General Health Services, Govt. of NCT of Delhi	Chairman Member Member Member
5.	Confirmation	Dental Surgeon	1. Addl. Chief Secretary (Home)/ Pr. Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi 2. Administrative Secretary	Chairman

			concerned, Govt. of NCT of Delhi 3. Special/ Additional Secretary (UD), Govt. of NCT of Delhi 4. Director General Health Services, Govt. of NCT of Delhi	Member Member Member

SCHEDULE-V

[See rule 7 (5) and 8(3)]

Minimum educational and other qualifications, along with age limit for Direct Recruitment to Duty Posts in the Delhi Health Service (Dental Surgeon):

Duty Post/ Pay Level & Pay	Age Limit	Essential Qualification & Other Qualifications
Dental Surgeon Level-10 in the Pay Matrix (Rs. 56,100-1,77,500/-)	Not exceeding 35 years Relaxable upto 05 years in respect of Govt. Servants in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time	(i) A recognised Bachelor of Dental Surgery degree qualification included in Part-I of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948). OR A recognised Dental qualification obtained upto 01.11.1972 under Part-II of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948). OR A recognised Dental qualification granted by authority or institution outside India only when granted to a citizen of India up-to 13.08.2009 under Part-III of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948). OR Any person who is citizen of India possessing foreign qualification and has appeared and passed the Screening Test Examination as per Screening Test Regulation 2009 w.e.f. 13.08.2009. (ii) Should be registered with any State Dental Council or Tribunal in India. (iii) Completion of CRI (compulsory rotating internship)-candidates who may not have completed CRI are also eligible to appear for selection provided that, if selected, they shall have satisfactorily completed the compulsory internship before appointment.

Note:1. The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the UPSC.

2. The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of National Capital Territory of Delhi,

O.P. PANDEY, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.12 21:14:54 +05'30'